



राजस्थान राज्य भण्डारव्यवस्था निगम

- ◆ राज्य में पिछले 61 वर्षों से वैज्ञानिक भण्डारण की सुविधाओं की व्यवस्था।
- ◆ राज्य में 10.87 लाख मैट्रिक टन भण्डारण क्षमता के 93 भण्डारगृहों का संचालन।
- ◆ संग्रहण शुल्क में साधारण श्रेणी के किसानों को 60 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों को 70 प्रतिशत की छूट देय, जो देश में सर्वाधिक है।
- ◆ निगम किसानों व व्यापारियों को एक ही स्थान पर समस्त व्यापारिक सेवाएं प्रदान कराने के लक्ष्य से बहुआयामी भण्डारण परिसर बनाने की ओर अग्रसर है जिसमें स्टॉक का विपणन, बैंकों से लोन, टैस्टिंग लैब, धर्मकांटा, ग्रेडिंग व पैकेजिंग की सुविधाएं एक ही परिसर में उपलब्ध होगी।
- ◆ निगम भण्डारण के क्षेत्र में निजी संस्थानों व बैंकों के साथ सहभागिता के आधार पर कार्य योजनाओं पर कार्य कर किसानों व व्यापारियों को अधिकतम सुविधाएं देने के लिये प्रतिबद्ध है, जैसे ऋण दिलवाना।
- ◆ निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में 4.59 लाख मै.टन की क्षमता के गोदाम स्वनिर्मित/ आर.आई.डी.एफ./ डब्ल्यू.आई.एफ. योजना में निर्माणाधीन है।
- ◆ पिछले 36 वर्षों से लगातार लाभ में चलने वाला सरकार का प्रतिष्ठान।
- ◆ राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट तथा आर्थिक अध्ययन संस्थान नई दिल्ली से दो बार “एक्सीलेंस अवार्ड” द्वारा सम्मानित।

राजस्थान राज्य भण्डारव्यवस्था निगम वैज्ञानिक भण्डारव्यवस्था का पर्याय

राजस्थान राज्य भण्डारव्यवस्था निगम

(सरकार का प्रतिष्ठान)

प्रधान कार्यालय, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर-302 015

फैक्स : 0141.2560698; फोन : 2565087, 2565088, 2565089, ; ई-मेल : rswcho@gmail.com